तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रामस्वरूप बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर)** **सू.अ.अ. अपील संख्या 190/2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13.11.20

अपीलार्थी रामस्वरूप खिलेरी पुत्र मालाराम पता गांव सोनलपुरा राणेरी, तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.08.20 में उसके द्वारा (1) भू–प्रबन्ध विभाग जोधपुर की उजरदारी पत्रावली संख्या 31/1958 अनवान चौखा पुत्र खानू बनाम सूजिया जो भू–प्रबन्ध विभाग के पत्र क्रमांक 2548 दिनांक 17 फरवरी 1964 के द्वारा आपके कार्यालय रिकॉर्ड में जमा करने हेतु भेजी जो भूमि खसरा नम्बर 367 ग्राम राणेरी तहसील फलोदी जिला जोधपुर से संबंधित है, उसमें उज्रदारी की नकल प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर भू.अ. जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से जरिये पत्रांक 972 दिनांक 27.10.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि शाखा में संधारित दायरा रजिस्टर में अवलोकन करने पर अपीलार्थी का आवेदन पत्र दायर होना नहीं पाया गया तथा आवक शाखा पंजिका का भी अवलोकन किया गया परन्तु आवक पंजिका में प्रार्थना पत्र आना नहीं पाया गया। अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि संभवत आवेदन पत्र सीघे ही भू–अभिलेख शाखा को प्राप्त हो गया होगा अतः प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा से सूचना प्राप्त कर सकते है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट में आर.टी.आई शाखा में प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर भू.अ. जोधपुर को संबोधित होने से संभवत् भू–अभिलेख शाखा को प्राप्त हो गया होगा, बताया गया। कलक्टर कार्यालय की सभी शाखाओं का लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) एक ही है अतः प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा से भी रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करनी चाहिए जो नहीं की गई है। द्वितीयत् प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा कलक्टर कार्यालय में प्रार्थन पत्र प्राप्त हुआ है तो उन्हें भी चाही गई सूचना के बारे में रिपोर्ट/ तैयार कर लोक सूचना अधिारी को प्रेषित करनी चाहिए परन्तु ऐसा करना नहीं पाया खेदजनक है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर)/प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा कार्यालय हाजा निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध [illegible] अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया [illegible]। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.12.16 15:55:27 IST
Reason: SelfAttested